# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 55/2021

1. शान्तिबाई पत्नी
2. शोभागपुरी पुत्र
3. रविन्द्र पुरी पुत्र
4. महेन्द्रपुरी पुत्र
5. शकुन्तला पुत्री
6. टीना पुत्री

स्व. रामकुंवार जाति गुसाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल

.....वादीगण

**बनाम**

1. गोरधन पुत्र रामप्रताप जाति गुसाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
2. महावीर पुत्र गोरधन जाति गुसाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

.....प्रतिवादीगण

## निर्णय

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 12 सी0पी0सी0**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार गालव
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
निर्णय दिनांक :–12.10.2022

प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 12 सी0पी0सी0 का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. यह कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 वादी कम 1 ता 6 द्वारा वाके माल भटवाडा खसरा नं0 837 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 838 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 839 रकबा 7.09 है0 किता 3 रकबा 7.17 है0 के बाबत प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित है।
2. यह कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा पूर्व वाद संख्या 74/14 बउनवान गोरधनपुरी बनाम शांतिबाई वगै0 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट वाके माल भटवाडा खसरा नं0 837,838,839 किता 3 रकबा 7.17 है0 प्रस्तुत किया था जिसमें वादीगण 1 ता 6 प्रतिवादी थे और पूर्व वाद का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 27.12.2018 निर्णय व डिक्री कर दिया गया है एवं उक्त वाद की डिक्री व निर्णय से असंतुष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय आर0ए0ए0 कोटा में अपील प्रस्तुत की थी जिसे भी अन्तिम रूप से निर्णित कर पुनः न्यायालय हाजा में रिमाण्ड कर दिया है और वादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है।

Scanned by CamScanner

यह कि न्यायालय हाजा में पूर्व वाद रिमाण्ड होकर जेरकार है जिसमें आगामी पेशी 18.04.2022 नियत है। प्रस्तुत वाद एवं पूर्व वाद एक ही वाद हेतूक एवं एक समान अभिवचन है। एक ही वादग्रस्त सम्पत्ति, विवाद्य है एवं एक ही न्यायालय में जेरकार है जो विधि द्वारा वर्जित है तथा आदेश 2 नियम 2 के अधीन भी समान पक्षकारों के मध्य समान आराजी/सम्पत्ति को लेकर नही चल सकते है।

4. यह कि वादी को सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी होने पर भी दणित हाथों से न्यायालय में बिना वाद हेतूक उत्पन्न हुये प्रस्तुत किया है और पूर्व वाद में उत्पन्न हुए बिना ही पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत किया है जो विधि के आदेशात्मक प्रावधानों आदेश 7 नियम 11 के अधीन वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादी कम 1 व 2 स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण नामंजूर कर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद के साथ शामिल पत्रावली किया । अप्रार्थीगण(वादीगण) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 12 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 ता 4 अस्वीकार की। जवाब प्रार्थना में विशेष आपत्तियां भी जाहिर की जो निम्नानुसार हैः—

1. यह कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 हस्तगत वाद मे लागू नही होता है क्योकि पूर्ववाद खाता विभाजन धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट के तहत प्रतिवादी ने पेश किया है। जिसमें माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 कोटा के निर्णय से तीनों खातो मे विभाजन होना शेष है जबकि बिना विभाजन विवादित भूमी पर अवैध पक्का निर्माण कर बिना विभाजन कब्जा कर सडक के किनारे की भूमि हडपने की प्रतिवादी की नियत के कारण मजबूरन वर्तमान वाद धारा 188 आर0टी0 एक्ट में पेश करना पडा है जिसके भी पूर्व वाद के पक्षकार समान नही है और वादी को अपनी पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा का पूर्ण कानूनी अधिकार है।
2. यह कि माननीय न्यायालय यदि दानो वादो को धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत एक साथ सुनवाई करे तो भी कोई आपत्ति नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी आधारहीन होने से मय हर्जाना 11000रू खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील पक्षकारान द्वारा दौराने बहस उन्ही तथ्यो को दौहराया गया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन एवं मनन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 74/17 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट एक समान बउनवान गोरधनपुरी बनाम शांतिबाई वगै0 प्रस्तुत किया था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2018 को पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय आर0ए0ए0 महोदय कोटा के समक्ष की गयी जिसमें श्रीमान आर0ए0ए0 महोदय कोटा द्वारा निर्णय कर पुनः न्यायालय हाजा में रिमाण्ड कर दिया और वादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय हाजा में जेरकार है। प्रस्तुत वाद एवं पूर्व वाद में हेतूक, अभिवचन, वाद की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक ही है। इस प्रकार समान पक्षकारो के मध्य समान हेतूक व विषयवस्तु के लिए अलग अलग वाद एक ही न्यायालय में जेरकार नही हो सकते है यह विधि द्वारा वर्जित है। सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा वाद पत्र नामंजूर(खारिज) किया जा सकता है यदि प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हो। सी0पी0सी0 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार जहां वादी किसी विशिष्ठ वाद–हेतुक के सम्बन्ध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद–हेतुक में संस्थित करने का हकदार नही होगा। वकील प्रार्थीगण की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2014 (4) CDR 857 (SC) बउनवान कॉफी बोर्ड बनाम रमेश एक्सपोर्टस् प्रा0 लि0 में पारित निर्णय दृष्टान्त की छायाप्रति भी पेश की जिसमें आदेश 2 नियम 2 सी0पी0सी0 के अनुसार यदि एक ही वाद हेतुक से विभिन्न अनुतोष या दावा उत्पन्न होते है तो वादी को न्यायालय के समक्ष एक ही वाद में अपने सभी दावे अवश्य रखने चाहिये। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 12 सी0पी0सी0 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 12 सी0पी0सी0 को स्वीकार कर मूल वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

(उप खण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner